रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 428] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 549(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 34 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. इन नियमों को संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 के नियम 3 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि अध्यक्ष की नियुक्ति, अन्वेषण समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, की सिफारिशें प्राप्त किए जाने के पश्चात् की जाएगी "

(क) मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
(ख) सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग	सदस्य
(ग) सचिव, योजना आयोग	सदस्य

(घ) निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट, अहमदापश्चात्/बंगलौर/ कोलकाता/ इंदौर/कोझीकोड/लखनऊ — सदस्य

(ड.) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉरपोरेशन लि0/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ भारतीय आयात-निर्यात बैंक/ राष्ट्रीय आवास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, — सदस्य"

3. उक्त नियमों के नियम 5. के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"5. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि,-

(1) अध्यक्ष इस रूप में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु यह कि कोई अध्यक्ष बासठ वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् इस रुप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) कोई सदस्य इस रूप में अपना पद भार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि अथवा बासठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा "

4. उक्त नियम के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 8. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।"

5. उक्त नियम के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात् :-

" 9. वेतन - (1) अध्यक्ष को प्रति मास 80,000/- रुपए (नियत) वेतन का संदाय किया जाएगा ।

(2) सदस्य को 37,400-67,000/- रुपए का वेतनमान + 12000/-रुपए प्रतिमास की ग्रेड पे का संदाय किया जाएगा ।"

[फा. सं. ए-12025/35/2008-ई-II (बी)]
प्रदीप कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम सा. का. नि. 507 (अ), तारीख 23 जून, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में सा. का. नि. 631 (अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2009

G.S.R. 549(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 34 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003, namely:-

1. These rules may be called the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the National Highways Authority of India (the term of office and other conditions of Service of Members) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that the appointment of the Chairman shall be made after obtaining the recommendations of a Search Committee consisting of -

(a)	the Cabinet Secretary	Chairperson,
(b)	the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways	Member,
(c)	the Secretary, Planning Commission	Member,
(d)	the Director, Indian Institute of Management, Ahmedabad/Banglore/Kolkatta/Indore/Kozikode/Lucknow,	Member,
(e)	the Chairman-cum-Managing Director, Indian Infrastructure Finance Corporation Ltd./ National Bank for Agriculture and Rural Development/ Export-Import Bank of India/ National Housing Bank/ Small Industrial Development Bank of India,	Member.".

3. In the said rules for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :-

"5. Term of office of Chairman and Members. –

(1) The Chairman shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-appointment :

Provided that no Chairman shall hold office as such after he has attained the age of sixty two years.

(2) A Member shall hold office as such for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier.".

IndiaCode

4. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :-

"8. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.".

5. In the said rules, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely :-

"9. Salaries. – (1) The Chairman shall be paid a salary of Rs.80,000 (fixed) per month.

(2) The Member shall be paid a salary of Rs.37,400-67,000 + Grade Pay of Rs.12,000 per month.".

[F. No. A-12025/35/2008-E. II (B)]

PRADIP KUMAR TRIPATHI, Jt. Secy.

Foot note :— The principal rules were published vide number G.S.R. 507(E), dated the 23rd June, 2003 and subsequently amended vide number G.S.R. 631 (E), dated the 12th October, 2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.